न्यायालय अपर जिला कलक्टर, फलौदी

पीठासीन अधिकारी श्री गोपालराम बिरड़ा आर0ए0एस0

रेफरैंस प्रार्थना पत्र सं. : 19 / 2020

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) फलौदी

अप्रार्थीगण
1. गोपीदास पिता भभूतदास जाति साध निवासी विश्वकर्मा नगर बरजासर।
2. मदनदास पिता भभूतदास जाति साध निवासी विश्वकर्मा नगर बरजासर।
3. किशनदास पिता भभूतदास जाति साध निवासी विश्वकर्मा नगर बरजासर।
4. गणेशदास पिता भभूतदास जाति साध निवासी विश्वकर्मा नगर बरजासर।
5. अमरदास पिता भभूतदास जाति साध निवासी विश्वकर्मा नगर बरजासर।
6. मगदास पिता भभूतदास जाति साध निवासी विश्वकर्मा नगर बरजासर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक: 06.05.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम बरजासर (वर्तमान राजस्व ग्राम विश्वकर्मा नगर) के खसरा संख्या 183 रकबा 35.07 बीघा मिसल बन्दोबस्त समत् 2012 के कॉलम नंबर 3 में माफी बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी व एतमाम पुजारी भभूतदास वल्द पेंपदास कौम बरागी साकिन देह माफीदार खाता संख्या 134 में दर्ज हुई तथा उपभेक्ता के कॉलम नंबर 4 में खुद कास्त दर्ज है। जमाबंदी संम्वत् 2015 से 2018 में भी कॉलम संख्या 4 में खसरा संख्या 183 रकबा 35.07 बीघा भूमि में भी मंदिर श्री ठाकुरजी व एतमाम पुजारी भभूतदास वल्द पेंपदास कौम बरागी साकिन देह दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 बनाते समय खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 183 रकबा 35.07 बीघा भूमि में मंदिर श्री ठाकुरजी का नाम बिना किसी न्यायिक निर्णय अथवा आदेश के मंदिर का नाम हटा दिया गया। उक्त खसरा भभूतदास पुत्र पेमदास कौम साद के नाम से दर्ज हो गया। सम्वत् 2030 से 2033 के खाता संख्या 85 में खसरा संख्या 183 रकबा 35.07 बीघा में भभूतदास के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 130 जरिये विरासत से गोपीदास, मदनदास, किशनदास, गणेशदास, अमरदास, मगदास पिता भभूतदास कौम साध का नाम राजस्व रेकर्ड में आ गया जो आज दिनांक तक आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 183 रकबा 35.07 बीघा माफी बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी व एतमाम पुजारी भभूतदास वल्द पेपदास कौम बरागी साकिन देह माफीदार के नाम मिसल में दर्ज है जो मंदिर माफी की भूमि है तथा मंदिर माफी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। जिस पर किसी व्यक्ति विशेष के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है। ग्राम बरजासर के नामान्तरकरण संख्या 130 को निरस्त करने योग्य है इसलिए उपरोक्त अनुसार रेफरेसं प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंन्स [illegible] गया। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस ज[illegible]कर [illegible]ील हेतु भेजे गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। बाद अधिवक्ता को अनेक अवसर दे[illegible] के उपरान्त किसी ने अप[illegible] जबाब एवं बहस नही की। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 का जबाब बन्द किया जाकर पत्रावली का[illegible] में रखा गया। तहसीलदार फलोदी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्पष्ट है कि ग्राम बरजासर

अति.जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:16 IST
Reason: SelfAttested

(वर्तमान राजस्व ग्राम विश्वकर्मा नगर) के खसरा संख्या 183 रकबा 35.07 बीघा मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2012 के कॉलम नंबर 3 में माफी बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी व एतमाम पुजारी भभूतदास वल्द पेमदास कौम बरागी साकिन देह माफीदार खाता संख्या 134 में दर्ज हुई तथा उपभेक्ता के कॉलम नंबर 4 में खुद कास्त दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 में भी कॉलम संख्या 4 में खसरा संख्या 183 रकबा 35.07 बीघा भूमि में भी मंदिर श्री ठाकुरजी व एतमाम पुजारी भभूतदास वल्द पेमदास कौम बरागी साकिन देह दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 बनाते समय खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 183 रकबा 35.07 बीघा भूमि में मंदिर श्री ठाकुरजी का नाम बिना किसी न्यायिक निर्णय अथवा आदेश के मंदिर का नाम हटा दिया गया।

आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करने का आदेश करने की अनुशंसा के साथ पत्रावली श्रीमान निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपालराम बिरडा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:16 IST
Reason: SelfAttested